संख्या– 42 /9–9–15– 94ज/15

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

सम्बन्धित नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 11 फरवरी, 2015

विषय– स्थानीय नागर निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपयोगिता अवधि बढाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानीय नागर निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की शासनादेश संख्या–133/नौ–9–14–94ज/14 दिनांक 15.12.14 द्वारा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 3,00,000,0000/– निदेशक, स्थानीय निकाय के प्रवर्तन पर रखी गयी थी, जिसकी उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.15 थी। उक्त प्राविधानित धनराशि में से निदेशक, स्थानीय निकाय के पत्र संख्या–8/3358/122–02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2014–15 दिनांक 03.03.15 व पत्रांक संख्या–8/7934/122–02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2014–15, दिनांक 27.03.15 द्वारा कतिपय निकायों को वितरित की गयी है, जिसकी उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2015 होने के कारण इतनी अल्प अवधि में निकायों द्वारा विकास कार्यो को कराये जाने की औपचारिक्ताएं पूर्ण की जानी सम्भव नही थी, जिस कारण धनराशि का उपयोग नही किया जा सका। निकायों द्वारा उक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.16 तक बढाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः निकायों द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्थानीय नागर निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की स्वीकृति धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.16 तक इस शर्त के साथ अन्तिम रूप से बढायी जाती है कि उक्त निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में उक्त अवधि से आगे उपयोगिता अवधि नही बढायी जायेगी।

go-v

अतः निकायों द्वारा यथा शीघ्र स्वीकृत कार्यो को पूर्ण कराकर निर्धारित समयावधि के भीतर धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.16 तक निर्धारित प्रपत्र पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4– सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायते उ0प्र0।
5– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
6– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8
8– गार्ड फाइल/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

go-v